छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्

छठवीं मंजिल, टावर 'सी', कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सी.बी.डी., सेक्टर–21,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.), 492002

website-www.markfed.cg.nic.in Email id-mf_ctrlroom_raipur@gov.in

क्रमांक/विपणन/ 1087 /2024–25 न.रा.अ.न., दिनांक 28 .05.2025

खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में अतिशेष धान की निविदा में स्टेक खरीदी हेतु चयनित क्रेता/बॉयर जिनके द्वारा सुरक्षा निधि 07 कार्य दिवस में नहीं जमा किया उक्त क्रेता/बॉयर को वन टाईम अवसर प्रदान करने के संबंध में

खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में उपार्जित धान में से अतिशेष धान का नीलामी के माध्यम से निराकरण हेतु विपणन संघ द्वारा दिनांक 27 मार्च 2025 को आर.एफ.पी. जारी किया गया। शासन द्वारा निर्धारित दर वाले एच–1 क्रेता/बॉयर को धान विक्रय करने हेतु तथा प्राईसमैचिंग वाले क्रेता/बॉयर द्वारा यदि आर.एफ.पी. की कंडिका–16.1 के अनुसार क्रेता द्वारा नीलामी में स्टेक खरीदी हेतु चयन उपरांत यदि सुरक्षा निधि 07 कार्यदिवस में जमा नहीं किया गया है, तो ई.एम.डी. राशि राजसात किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त के संबंध में क्रेता/बॉयर जो समय–सीमा में एस.डी. जमा नहीं कर पाये है, उन्हें वन टाईम अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उक्त क्रेता को स्टेक के लिए वन टाईम अवसर प्रदान किया किया जा रहा है, जिसमें क्रेता/बॉयर 31 मई 2025 तक लिखित में निर्धारित शपथ–पत्र प्रारूप में आवेदन ई–मेल (mf_ctrlroom_raipur@gov.in) के माध्यम से विपणन संघ को प्रेषित करें। विपणन संघ द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र क्रेता/बॉयर को निर्धारित दिनांक को एम–जंक्शन के पोर्टल पर एस.डी. राशि का भुगतान किया जाना होगा। उक्त के संबंध में विस्तृत जानकारी विपणन संघ अथवा **mjunction** की वेबसाईट (**https://markfed.cg.nic.in** एवं **https://cgmarkfed.mjunction.in**) से प्राप्त किया जा सकता है।

महाप्रबंधक (विपणन)

शपथ पत्र

मेरे फर्म .....जीएसटी नं. (.....), एम–जंक्शन आई.डी.– (.....) द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 में विपणन संघ के धान सग्रहण केन्द्रो में अतिशेष धान को क्रय करने हेतु M-Junction पोर्टल के माध्यम से धान ई–ऑक्शन /प्राईस मैच संलग्न अनुसूची 'क' अनुसार किया गया है। मेरे द्वारा निविदा के शर्तों के अनुरूप विपणन संघ द्वारा अनुमोदन दिनांक के 07 दिवस के समय–सीमा में नियमानुसार सुरक्षानिधि जमा नहीं की जा सकी है।

खाद्य विभाग छ.ग शासन का पत्र क्रमांक GENCOR-35/321/2025-FOOD-Part(6) नवा रायपुर, दिनांक 27.05.2025 के माध्यम मे नीलामी के आर.एफ.पी की कंडिका क्रमांक 16.1 के अनुसार निधारित समय अवधि में सुरक्षा निधि जमा नही करने पर ई.एम.डी राशि राजसात किये जाने के प्रावधान में शिथिलता प्रदान की गई है।

कृपया उक्त प्रावधान के तहत् मेरी ई.एम.डी राशि को राजसात नहीं करते हुये शासन के निर्देशानुसार नियत तिथि में (विपणन संघ द्वारा निर्धारित 02 कार्य दिवस के भीतर) उपरोक्त उल्लेखित स्टेक की सुरक्षा–निधि जमा कर संपूर्ण स्टेक की राशि का अंतरण एम–जंक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से कर धान का उठाव निर्धारित समय अवधि में मेरे द्वारा किया जावेगा।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम –.....

फर्म का नाम –.....

एम–जंक्शन आई.डी. –.....

जीएसटी नं.–.....

पता –.....

जिला–.....(छ.ग.)

टीपः– एक से अधिक ऑक्शन दिनांक/स्टेक होने की स्थिति में परिशिष्ट 'क' अनुसार मय हस्ताक्षर जानकारी संलग्न करें। उक्त शपथ पत्र बिडर द्वारा अपनी फर्म के लेटर हेड पर प्रदान किया जावेगा।

अनुसूची 'क'

फर्म का नाम–.....

सुरक्षानिधि राशि जमा करने हेतु स्टेकों की सूची

क्र.	स्टेक क्रमांक	ई–आक्शन / प्राईस मेच दिनांक	संग्रहण केन्द्र का नाम	जिला

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम –.....

फर्म का नाम –.....

एम–जंक्शन आई.डी. –.....

जीएसटी नं.–.....

पता –.....

जिला–.....(छ.ग.)